

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या -132/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00034

1. अनारसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लसूडिया तह0
रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

1. पूरीलाल पुत्र बालाराम जाति मेघवाल
2. डालीबाई पत्नि पूरीलाल जाति मेघवाल
निवासीगण ग्राम लसूडिया तहसील रामगंजमण्डी
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

—अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण भू-आवंटन
आदेश दिनांक 02/12/2010 आराजी खसरा
नं0 107 रकबा 0.60 हे0 ग्राम लसूडिया
अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम
1970 के नियम 14(4)

उपस्थित—

1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामबाबू मालव अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1 व 2
3. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक -07/09/2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम लसूडिया तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं0 107 की 0.60 हे0 भूमि दिनांक 02.12.2010 आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूरीलाल पुत्र बालाराम जाति मेघवाल को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की जानें पर उक्त आवंटन के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण हेतु आवेदन पेश किया है ।
2. प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के विरुद्ध दिनांक 14.09.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 के ग्राम लसूडिया में स्वयं मोहनलाल पुत्र मन्नालाल के खाता संख्या 133 की ख0नं0 95 की 0.04 हे0 तथा ख0नं0 319 की 0.65 हे0 भूमि खाते में मौजूद होते हुए भी उक्त तथ्य को आवंटन प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित न कर अपटपूर्ण ढंग से स्वयं को भूमिहीन बताकर गम्भीर तथ्य छिपाते हुए उक्त भूमि आवंटित करवायी गयी है, जो निरस्त होने योग्य है । अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा किसी भी

2
जिला कलेक्टर
कोटा

सिवायचक आवंटन योग्य भूमि आवंटित कराने की प्रार्थना नहीं की गई है तथा सर्किल कानूनगो व हल्का पटवारी द्वारा भी पूरिलाल पुत्र बालाराम मेघवाल के खाते में ग्राम लसूडिया में ख०नं० 19 की 0.40 हे० भूमि मौजूद होने का तथ्य छुपाकर सही रिपोर्ट नहीं की गई है। ग्राम लसूडिया में कृषि योग्य सिवायचक भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध होने बाबत कोई उद्घोषणा भी प्रसारित नहीं की जाने पर भी उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ख०नं० 107 की कुल भूमि संलग्न नकल नक्शा लट्टा के मुताबिक ग्राम लसूडिया की आबादी भूमि ख०नं० 106 से लगी हुई है तथा उक्त आबादी भूमि के आसपास खसरा नं० 107 की भूमि पर प्रार्थी सहित कई ग्रामवासियान लसूडिया द्वारा गत 25-30 वर्ष पूर्व से ही रियायती कच्चे मकान एवं कृषि कार्य हेतु उपयोगी बाड़े बना रखे हैं। उक्त तथ्य हल्का पटवारी व सर्किल कानूनगों की जानकारी में होते हुए भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि आवंटित की गई उक्त भूमि की कोई चतुर्थ सीमाएं नहीं बतायी गई है तथा उक्त संबंध में सही सीमा ज्ञान के बिना ही केवल कागजी दखलनामा तैयार कर अप्रार्थीगण नं० 1 व 2 को मिन खसरा नं० 439/107 की 0.60 हे० भूमि पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया है। प्रार्थी सहित ग्रामवासी लसूडिया के उक्त ख०नं० 107 की भूमि पर गांव की आबादी भूमि के निकट बने हुए आवासीय निवास गृह एवं कृषि कार्य हेतु उपयोग बाड़ो को अवैध रूप से अतिक्रमी होना बताकर धारा 183-बी के प्रावधानों के मुताबिक बेदखल करने को तत्पर हो रहे हैं। इसलिए प्रार्थी उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना कर रहा है।



3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से आवंटन पत्रावली तलब की गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं० 1 व 2 के अभिभाषक उपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण नं० 1 व 2 को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में पूरी जांच किये बिना ही आवंटन कर दी गई है, जबकि अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र में किसी भी सिवायचक भूमि का आवंटन नहीं किया गया, ना ही उद्घोषणा की गई, तथा अप्रार्थीगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं। तथा उक्त आवंटित भूमि ख०नं० 107 पर प्रार्थी सहित ग्रामवासी लसूडिया द्वारा आवासगृह एवं बाड़े बने हुए हैं। उक्त भूमि अप्रार्थी को आवंटन कर दिये जाने से अप्रार्थी नं० 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी नं० 3 रा०टी०ए० की धारा 183 (बी) के तहत प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। उक्त आवंटन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत कपटपूर्ण ढंग से पारित किया हुआ होना निर्णित कर निरस्त फरमाया जावे। बसूरतदीगर मौके पर प्रार्थी एवं अन्य ग्रामवासी लसूडिया के आवासीय निवासगृह एवं कृषि कार्य हेतु उपयोगी बाड़ो की भूमि को ग्राम की आबादी भूमि होने से खसरा नं० 107 मौके पर स्थित अवशेष भूमि पर ही अप्रार्थीगण को मौके पर कब्जा दिलाये जाने हेतु अप्रार्थी नं० 3 तहसीलदार रामगंजमण्डी को निर्देशित किया जाये ताकि प्रार्थी सहित ग्रामवासी लसूडिया द्वारा गांव की आबादी ख०नं० 106 के निकट बसे हुए आवासगृह एवं बाड़ो को नष्ट होने से बचाया जा सकें।
5. वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के खण्डन में मुख्यरूप से कथन किया है कि आवंटन कमेटी द्वारा किये गये आवंटन में यदि कोई खामी रह जाती है, तथा आवंटी आवंटन का पात्र न होने तथा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करता है तो कमेटी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु नियम 14(4) के तहत प्रस्ताव भूमिधारी तहसीलदार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी मात्र अतिक्रमी है, अतिक्रमी को कमेटी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्त कराने का

2
जिला कलेक्टर

कोर।

कोई अधिकार नहीं दिया गया है । तथा वक्त आवंटन के प्रार्थी का कोई आवेदन पत्र आवंटन कमेटी के पास लम्बित नहीं था, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आधारही होने से पोषणीय नहीं है । वकील अप्रार्थी नं0 1 व 2 द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त 2017 (1) RRT 634, 2016-2017(Supp) RRT 473, 2011 (1) RRT 270 प्रस्तुत किये हैं ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में प्रार्थी केवल कब्जे के आधार पर अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वकील अप्रार्थी के कथनों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से हम सहमत हैं कि आवंटन कमेटी द्वारा भूमि आवंटन की जाती है तो आवंटन प्रक्रिया में कोई खामी होने तथा आवंटन द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने पर भूमिधारी सम्बन्धित तहसीलदार ही कमेटी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । इस प्रकरण में प्रार्थी को वाकई आवंटन निरस्त कराने का अधिकार नहीं है, प्रार्थी ने मात्र कब्जे के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, तथा अपने पक्ष में ऐसे कोई ठोस आधार एवं कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस पर गौर करते हुए आवंटन निरस्त किया जा सकें । किन्तु हम यहां इन संभावनों से भी इन्कार नहीं कर सकते हैं कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अब तक कब्जा ही न किया हो तथा इस भूमि पर प्रार्थी का भी कब्जा हो सकता है, चूंकि अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से कब्जा काश्त सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं । उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह मानते हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन निरस्तीकरण का आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं पाते हैं । फिर भी यदि भूमिधारी तहसीलदार जांच उपरान्त आवंटन निरस्त कराया जाना उचित पाने पर सरकार की ओर से पृथक से आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ।
7. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी नं0 1 व 2 के पक्ष में ग्राम लसुडिया के ख0नं0 107 में से रकबा 0.60 हे0 के आवंटन आदेश को यथावत रखा जाता है । साथ ही तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी नं0 1 व 2 के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन की मौके पर जांच करें यदि उक्त आवंटन निरस्ती योग्य पाते हैं तो पृथक से आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें ।
8. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को खुले मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

34/18/1
(उज्ज्वल राठी)
जिला कलक्टर
कोटा
जिला कलक्टर
कोटा

CJMS no. → 2021/228

फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

अनारसिंह

बनाम

पूरीलाल

किस्म मुकद्दमा - प्रकरण सं० 132/2016 फैसला दिनांक 07.09.2021
प्रार्थना पत्र धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में त्रुटि
सुधारने बाबत प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 5 वर्ष 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जे इस हुक्म के तामील में जारी हुए
28-09-2021	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के अपील सं० 132/2016 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2021 में हुई टाईपिंग त्रुटि के सम्बन्ध में पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र एवं निर्णय दिनांक 07.09.2021 का अवलोकन किया जिस अनुसार निर्णय के पेरा नं० 2 की दुसरी से चौथी लाईन तक में "स्वयं पूरीलाल पुत्र बालाराम के खाता संख्या 72 की ख०नं० 19 की 0.40 हे० भूमि" के स्थान पर सहवन से "स्वयं मोहनलाल पुत्र मन्नालाल के खाता संख्या 133 की ख०नं० 85 की 0.04 हे० तथा ख०नं० 319 की 0.65 हे०" अंकित हो गया है जिसे दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाता है एवं इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 132/2016 (प्रा०पत्र आवं० निरस्ती०) अनारसिंह बनाम पूरीलाल में निर्णय दिनांक 7.09.2021 के पेरा नं० 2 की दुसरी से चौथी लाईन तक "स्वयं मोहनलाल पुत्र मन्नालाल के खाता संख्या 133 की ख०नं० 85 की 0.04 हे० तथा ख०नं० 319 की 0.65 हे० भूमि" के स्थान पर "स्वयं पूरीलाल पुत्र बालाराम के खाता संख्या 72 की ख०नं० 19 की 0.40 हे० भूमि" पढा जावें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न दाखिल दफ्तर हो</p>	



जिला कलेक्टर
कोटा